सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-07

मंगलवार, दिनांक-08 मार्च, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.05 बजे अपराह्न तक।

[1] आसन की सूचना :-

1. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला सशक्तिकरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित संकल्प के आधार पर सन् 1977 से इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। आज पूरा विश्व महिलाओं के समर्पण और सशक्त योगदान को याद कर रहा है। इस साल का थीम है ''ब्रेक द बायस'' यानी पूर्वाग्रह को तोड़े।

   हमारी संस्कृति में नारी सदा से पूजनीय रही है। हमारे देश में आदिकाल से ही स्त्रियाँ पूर्वाग्रह की नहीं बल्कि अनुग्रह, अनुराग और आराधना की प्रतीक मानी गई है। हमने नारी को शक्ति, सम्पत्ति और सदबुद्धि की अधिष्ठात्री माना है। भारतीय संस्कृति में विद्या की देवी माता शारदा भवानी, धन की देवी माँ महालक्ष्मी और शक्ति की आदि देवी माता दुर्गा हैं।

   महिलायें हमेशा अपनी योग्यता, तप, त्याग, समर्पण, श्रम, सेवा और संकल्प के बल पर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभा रही हैं। प्रकृति और शक्तिस्वरूपा महिलायें हर स्वरूप में हमारी प्रेरणा हैं, उनके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। समाज सदैव उनका ऋणी है।

   आज महिलायें अपनी योग्यता के बल पर अपने परिवार और समाज का विरासत और पहचान बन रही हैं। वह हर स्वरूप में अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी दक्षता के साथ कर रही हैं। दुनिया का कोई कोना और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं हैं जहाँ वह अवसर मिलने पर अपनी बुलंदियों का परचम न लहरा रही हैं। महिलाओं का सशक्त होना हमारे राष्ट्र के नींव को मजबूत कर रहा है।

   अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मैं अपनी तथा पूरे सदन की ओर से नारी शक्ति को नमन करते हुए उन्हें शुभकामनायें एवं हार्दिक बधाई देता हूँ। उनके सम्मान में इतना ही कहना चाहता हूँ।

नारी शक्ति है, सम्मान है
नारी गौरव है, अभिमान है,
नारी ने ही ये, रचा विधान है,
संपूर्ण सदन की ओर से उन्हें मेरा सादर प्रणाम है।
''नारी! तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास-रजत-नग पगतल में।
पीयूष-स्त्रोत सी बहा करो
जीवन के सुंदर समतल में।''

2. मिथिलांचल के हृदयस्थली दरभंगा में सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के क्रम में आयोजित बाल-युवा संसद में सम्मिलित वहाँ के होनहार बाल-युवा साथी आज हमारे बीच मौजूद हैं। वह ऊपर दर्शक दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से रू-ब-रू हो रहे हैं। इन बच्चों ने उस समय अपनी अद्भुत जिजीविषा, उत्कंठा और लगन से बाल-युवा संसद में अनुपम भागीदारी कर माहौल को सकारात्मक बनाया था। मैंने उनसे वादा किया था कि आप सभी को विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए जरूर मौका दूँगा।

मेरा आपसे आग्रह है कि सदन में हम अपने मर्यादित आचरण और रचनात्मकता से जनहित में सार्थक विमर्श कर ऐसा माहौल बना दें ताकि ये बच्चे जब यहाँ से जायें तो उनके मन में विधायिका और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा मूल्यों के प्रति गहरी आस्था हो और बड़े होकर वह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकें।

तत्पश्चात् माननीय मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा पूरे सदन की ओर से प्रदेश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनायें दी गयी। माननीय मंत्री द्वारा कहा गया कि ''जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं''। यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए सारा सदन आसन की भावना के साथ है।

तदुपरांत माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा महिला दिवस के अवसर पर आज के लिए किसी महिला सदस्य को पीठासीन अधिकारी बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया।

माननीय सदस्य, श्री शकील अहमद खाँ के द्वारा धार्मिक ग्रन्थ की एक चौपाई के कहे जाने पर कई सदस्यों ने आपत्ति दर्ज की।

माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए कहा गया कि वैश्विक स्तर पर रामचरित मानस के प्रति आस्था है। इसकी एक चौपाई की गलत रूप से व्याख्या करना उचित नहीं है। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही आसन से अनुरोध किया कि माननीय सदस्य, श्री शकील अहमद खाँ के वक्तव्य को कार्यवाही का हिस्सा न बनाया जाए।

आसन द्वारा कहा गया कि आपके मुखारविंद से ऐसी वाणी निकले जिससे सदन गौरवान्वित महसूस करे। लेकिन दुर्भाग्य से जो व्यवस्था बन रही है तो मैं कह देना चाहता हूँ;

आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी,
जब हम न होंगे, तब हमारी बातें होंगी,
कभी पलटेंगे जिंदगी के ये पन्ने,
तब शायद आपके आँखों में भी बरसातें होंगी।

किस प्रसंग में क्या शब्द लिखा है उसे काट-छाँट कर प्रस्तुत करना गलत है। ऐसा कभी न करें। साथ ही माननीय सदस्य, श्री शकील अहमद खाँ के वक्तव्य को कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाने का निर्देश दिया।

[2] <u>प्रश्नकाल</u> :-

(i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 11 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
(iii) 13 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iv) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-751 स्थगित।
(v) 237 तारांकित प्रश्न अनागत।

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज भी सभी प्रश्नों के शत-प्रतिशत उत्तर ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं तथा सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में 39 (उनचालीस) माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न वर्ग-2 से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है।

[3] <u>कार्यस्थगन प्रस्ताव</u> :-

माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री भाई वीरेन्द्र, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अवध विहारी चौधरी, श्री कुमार सर्वजीत, श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, श्री संजय कुमार गुप्ता, श्री रामबली सिंह यादव, श्री भीम कुमार सिंह, श्री अरूण सिंह एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

कार्यस्थगन अमान्य किये जाने पर माननीय सदस्यगण शोरगुल करने लगे जिसके पश्चात् आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री अजीत शर्मा को अपनी कार्यस्थगन की सूचना पढ़ने का अवसर दिया गया।

इस दौरान माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा लखीसराय की घटना पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हुए निर्णय के पश्चात भी सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किये जाने की बात कही गयी।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा इस संबंध में पूरी जानकारी लेकर आसन को अवगत कराने की बात कही गयी।

आसन द्वारा कहा गया कि कल हमने नयाचार और अभ्यावेदन समिति का गठन करने का निदेश दिया है। सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा सबको रखनी चाहिए। विधायिका को कमजोर करके सुशासन स्थापित नहीं किया जा सकता है। साथ ही सरकार को लखीसराय की घटना की पूरी जानकारी प्राप्त कर कल सदन में वक्तव्य देने का निदेश दिया गया।

[4] <u>शून्यकाल</u> :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री पंकज कुमार मिश्र
(ii) श्री रामबली सिंह यादव
(iii) श्री अख्तरूल ईमान
(iv) श्री मुकेश कुमार यादव
(v) श्री मोहम्मद कामरान
(vi) श्री विनय कुमार चौधरी
(vii) श्री राजकुमार सिंह
(viii) श्रीकांत यादव
(ix) श्री मनोज मंजिल
(x) श्री ललन कुमार
(xi) श्री कुंदन कुमार
(xii) श्री पवन कुमार जायसवाल
(xiii) श्रीमती शालिनी मिश्रा
(xiv) श्री समीर कुमार महासेठ
(xv) श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xvi) श्री बीरेन्द्र कुमार
(xvii) श्री अरूण सिंह
(xviii) श्री संजय कुमार गुप्ता

(xix) श्री राजेश कुमार गुप्ता
(xx) श्री महा नंद सिंह
(xxi) श्री संजय सरावगी
(xxii) श्रीमती वीणा सिंह
(xxiii) श्री सुधाकर सिंह
(xxiv) श्री भीम कुमार सिंह
(xxv) श्री सुनील मणि तिवारी
(xxvi) श्री आलोक कुमार मेहता
(xxvii) श्री मुहम्मद इजहार असफी
(xxviii) श्री मुरारी प्रसाद गौतम
(xxix) श्री विनय कुमार
(xxx) श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव

(माननीय सदस्य, श्रीमती रश्मि वर्मा द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर महिला सदस्यों को शून्यकाल की सूचना पढ़ने के लिए प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया जिसे आसन द्वारा स्वीकार किया गया।)

(xxxi) श्रीमती विभा देवी
(xxxii) श्रीमती भागीरथी देवी
(xxxiii) श्रीमती मंजु अग्रवाल
(xxxiv) श्रीमती गायत्री देवी
(xxxv) श्रीमती ज्योति देवी
(xxxvi) श्रीमती रश्मि वर्मा
(xxxvii) श्री अवध विहारी चौधरी
(xxxviii) श्री भूदेव चौधरी
(xxxix) श्री इजहारूल हुसैन
(xl) श्री पवन कुमार यादव
(xli) श्री सत्यदेव राम
(xlii) श्री राम सिंह
(xliii) श्री विजय कुमार
(xliv) श्री रतन सिंह
(xlv) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(xlvi) श्री सुर्यकांत पासवान
(xlvii) श्री मिथिलेश कुमार
(xlviii) श्री कृष्णनन्दन पासवान
(xlix) श्री श्याम बाबू प्रसाद
(l) श्री विद्या सागर केशरी
(li) श्री छत्रपति यादव
(lii) श्री ऋषि कुमार
(liii) श्री राकेश कुमार रौशन
(liv) श्री मनोज कुमार यादव
(lv) श्री प्रमोद कुमार सिन्हा
(lvi) श्री अमरजीत कुशवाहा
(lvii) श्री जय प्रकाश यादव
(lviii) श्री विजय कुमार खेमका
(lix) श्री गोपाल रविदास
(lx) श्री छोटे लाल राय
(lxi) श्री कुमार शैलेन्द्र
(lxii) श्री रणविजय साहू
(lxiii) श्री महबूब आलम
(lxiv) श्री ललित नारायण मंडल
(lxv) श्री प्रहलाद यादव

समयाभाव के कारण आज के लिए सूचीबद्ध शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया एवं आसन द्वारा इसे शून्यकाल समिति को सुपुर्द करने का निदेश दिया गया।

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव एवं अन्य सभासदों का गृह विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय प्रभारी मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए समय की मांग की गयी।

(ii) माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका का मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया एवं माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका के पूरक प्रश्न के क्रम में आसन द्वारा माननीय मंत्री को समीक्षा कर चलते सत्र में सदन को स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-18(2) के अधिसूचना संख्या एस०ओ०-68, दिनांक 31.01.2022 तथा बिहार माल

और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत अधिसूचना संख्या एस०ओ०-69, 70, दिनांक 21.01.2022; एस०ओ०-162, 163, 164, 165, दिनांक 06.12.2021; एस०ओ०-166 दिनांक 22.12.2021; एस०ओ०-167, 168, 169, दिनांक 30.12.2021; एस०ओ०-170 एवं 171, दिनांक 31.12.2021 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

वाणिज्य-कर विभाग की दोनों अधिसूचनायें क्रमशः 14 एवं 30 दिनों तक सभा मेज पर रखी रहेंगी।

तत्पश्चात सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.05 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[7] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-01 (कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग तथा पशु एवं मत्स्य विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदानः-

माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से कृषि विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

अनुदान की मांग पर माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा एवं श्री ललित कुमार यादव के कटौती के प्रस्ताव में किसे पूर्वता मिले इस पर प्रश्न खड़ा हो जाने पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा आसन से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला माननीय सदस्य से कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करवाने का अनुरोध किया गया जिसे आसन द्वारा स्वीकार किया गया ।

तदुपरान्त आसन द्वारा अध्यासी सदस्य, श्रीमती ज्योति देवी से आसन ग्रहण करने के अनुरोध पर माननीय अध्यासी सदस्य, श्रीमती ज्योति देवी ने आसन ग्रहण किया।

माननीय सदस्य, श्रीमती संगीता कुमारी एवं श्रीमती नीतु कुमारी द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

अनुदान की माँग एवं कटौती प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्रीमती भागीरथी देवी
2. श्रीमती वीणा सिंह
3. श्रीमती मीना कुमारी
4. श्रीमती मंजु अग्रवाल
5. श्री छत्रपति यादव
6. श्रीमती अरूणा देवी
7. श्रीमती अनिता देवी

इस दौरान माननीय सदस्य, श्रीमती अनिता देवी के कतिपय टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे तथा माननीय सदस्य द्वारा कही गयी बातों को कार्यवाही में शामिल नहीं करने का अनुरोध करने लगे।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आसन द्वारा सदन में शान्ति स्थापित करने का अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि सदन विमर्श का स्थल है, माननीय सदस्य ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करें जिससे उत्तेजना फैले। हमलोग शांतिपूर्ण ढंग से सदन में साकारात्मक विमर्श का वातावरण बना सकते हैं, और यह हमारी जिम्मेवारी भी है। जो सदन के सदस्य नहीं है उनपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर हम कुछ अच्छी बात रखना चाहते हैं, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, चाहे वे व्यक्ति हो या संस्था हो उनके नाम को कोट करके चर्चा नहीं होनी चाहिए। पहले ही कहा गया है वह प्रोसिडिंग का पार्ट नहीं बनेगा।

तदुपरान्त माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा इस प्रकारण पर अपना पक्ष रखा ।

आसन के निदेश पर माननीय सदस्य, श्रीमती अनिता देवी द्वारा पुनः शेष वक्तव्य प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुदान की माँग एवं कटौती प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

8. श्रीमती निशा सिंह
9. श्रीमती ज्योति देवी
10. श्रीमती स्वर्णा सिंह

कटौती प्रस्ताव एवं अनुदान की माँग पर सूचीबद्ध माननीय सदस्यों को मौका नहीं मिलने पर विपक्ष के माननीय सदस्य शोरगुल करते हुए वेल में आ गए।

माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार द्वारा आसन से अनुरोध किया गया कि जिस दल में महिला सदस्य नहीं हो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए।

तदुपरान्त आसन के निदेश पर अनुदान की माँग एवं कटौती प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

11. श्री सुदामा प्रसाद
12. श्रीमती रेखा देवी
13. श्रीमती विभा देवी
14. श्रीमती गायत्री देवी
15. श्री अख्तरूल ईमान
16. श्री सुर्यकान्त पासवान

तत्पश्चात माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, श्री प्रमोद कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित सरकार की योजना को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात सरकार की ओर से माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने उत्तर दिया।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्रीमती संगीता कुमारी एवं श्रीमती नीतु कुमारी द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा कृषि विभाग से संबंधित अनुदानों की माँग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[8] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 36 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-09 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-08.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।